


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम किशोर कुमार होटचन्दानी

प्रकरण संख्या : 282/2018 (धारा 14 शिवयोस्टाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
24.01.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 शिवयोस्टाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (राजन विशाल)</p>	<p>Not Press Rajiv Ar 24/01/2022</p>